

वन विभाग, हरियाणा सरकार
कार्यालय उप वन संरक्षक, क्षेत्रीय मण्डल, गुरुग्राम
वन परिसर, सोहना रोड, नजदीक न्यायालय परिसर, गुरुग्राम, दूरभाष-0124-2322057

दिनांक: 30/08/2022

क्रमांक: 622-C
सेवा में,

अतिरिक्त प्रधान मुख्य वन संरक्षक (एफ0सी0ए0)
कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक,
सी-18, वन भवन, सैक्टर-6,
हरियाणा, पंचकूला।

विषय:- Diversion of 0.09252 hac. (instead of 0.0095 hac.) of forest land for approach access to the proposed retail outlet of Indian Oil Corporation Ltd. on Gurgaon-Jhajjar Road KM 10-11 L/side at village Budhera, under Forest Division & Distt. Gurugram. (Proposal No. FP/HR/Approach/149814/2021)

सन्दर्भ:- आपके कार्यालय का पत्र क्रमांक ई0/1459-60 दिनांक 05.08.2022

उपरोक्त विषय के सम्बन्ध में सन्दर्भित पत्र द्वारा लगाई गई आपत्तियों की मद वाईज सूचना निम्न प्रकार से है:-

1. ऑनलाईन कॉलम 13 (i) में प्लांटेशन एरिया ठीक कर दिया गया है।
2. CA Scheme में tree felled की सूचना दुरुस्त कर दी गई है।
3. NPV Sheet ओपन फॉरेस्ट एरिया रेट अनुसार कलैकुलेट कर दिये है।
4. Marking List पुनः अपलोड कर दी गई है।
5. पोर्टल पर Affected trees का scientific Name डाल दिये गये है।
6. Additional information में Remarks डाल दिए गए है।
7. Separate NPV Sheet व CA Scheme बनाकर पोर्टल पर अपलोड कर दिये है तथा पत्र के साथ संलग्न है।
8. सी0ए0 एरिया की टोपोशीट नम्बर सहित अपलोड कर दी गई है।
9. DFO द्वारा हस्ताक्षरित ले-आउट प्लान अपलोड कर दिया गया है।
10. नई गाईडलाईन दिनांक 06.01.2022 के अनुसार NPV कैलकुलेट कर दिया गया है।

इसके अतिरिक्त पत्र के साथ "undertaking for Other Petrol Pump and Toll Plaza" भी भेजी जाती है तथा यह भी संज्ञान में लाया जाता है कि दिनांक 03.06.2022 को माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा आदेश जारी किये गए है कि Eco- Sensitive Zone में कोई भी स्थायी संरचना का निर्माण न होने दिया जाये। प्रस्तावित पेट्रोल पंप की SNP से दूरी 3-3 km है कृपि यह SNP-ESZ में स्थायी संरचना का निर्माण न होना सुनिश्चित करवाये।


संलग्न/उपरोक्त


उप वन संरक्षक,
गुरुग्राम।

पृ0 क्रमांक/

दिनांक/

एक प्रति मुख्य वन संरक्षक, दक्षिणी परिमण्डल, गुरुग्राम को सूचनार्थ प्रेषित है।


उप वन संरक्षक,
गुरुग्राम।